

राशन कार्ड आवेदन/जाँच पत्र

मुखिया का नाम..... 1. बिजली (कोड) काउण्टर रजिस्टर क्रमांक.....
 पिता/पति का नाम (नहीं है तो 0, है तो 1 भरें) मास्टर रजिस्टर का क्रमांक.....
 मकान नं०..... मौहल्ला..... 2. गैस कनेक्शन (कोड)
 (नहीं है तो 0, एस.बी.सी. है तो 1, डी.बी.सी है तो 02 भरें)
 वार्ड का नाम, संख्या/राजस्व ग्राम.....
 नाम शहर/ग्राम सभा.....
 नाम तहसील..... विकासखण्ड.....
 जिला.....
 3 स्थानीय निवास की अवधि

4 परिवार का विवरण सदस्यों का नाम	आयु	लिंग (कोड) (पु-1, महि.-2, अन्य-3)	मुखिया से सम्बन्ध	मासिक आय	
1.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	फोटो
2.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
3.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
4.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
5.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
6.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
7.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
8.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
9.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
10.		<input type="text"/>		<input type="text"/>	

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर
(मोहर)

(अ) श्रेणी के आवेदन की सूची (अपनी श्रेणी चिन्हित कर संगत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

श्रेणी	संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्र
अ (1) भवन स्वामी	गृहकर / जलकर की रसीद
अ (2) किरायेदार	किरायेदार की पक्की रसीद / बिजली / टेलीफोन का बिल
अ (3) पूर्व निवास स्थान से समर्पण पत्र लाने वाले	समर्पण प्रमाण पत्र
अ (4) पूर्व निवास स्थान का राशन कार्ड रखने वाले	पूर्व निवास का राशन कार्ड
अ (5) सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मचारी	निवास एवं परिवार के सदस्य संख्या के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर एवं मोहर सहित)
अ (6) पंजीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति	निवास एवं परिवार की यूनिट संख्या के सम्बन्ध में लेबर आफिसर/मैनेजर / मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
अ (7) शहर में रहने वाले छात्र	प्रधानाचार्य/डाक्टर/डीन विद्यार्थी कल्याण द्वारा जारी निवास (स्थायी / स्थानीय) तथा शिक्षा ग्रहण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

नोट:-उपरोक्त अ श्रेणी के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो, उक्त द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों से संतुष्ट होकर राशन कार्ड तत्काल निर्गत किया जा सकेगा। ऐसी दशा में स्थलीय जाँच राशन कार्ड निर्गत किये जाने के 01 माह के भीतर संपन्न की जायेगी।

आवेदन हेतु अनुदेश :-

आवेदक जिसके पास बिजली नहीं है उपरोक्त क्रम संख्या-1 पर बनाये गये कोष्ठक में 0 भरें जिनके पास बिजली कनेक्शन है कोष्ठक में 1 भरें। ऐसे आवेदक जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उपरोक्त क्रम संख्या-2 के सम्मुख बनाये गये कोष्ठक में 0 भरें। जिनके पास सिंगल (एस.बी.सी.) कनेक्शन है वो कोष्ठक में 1 भरें। जिनके पास डबल (डी.बी.सी.) कनेक्शन है वे कोष्ठक में 2 भरें।
 क्रम संख्या-4 पर परिवार के विवरण के सम्बन्ध में दिये गये कोष्ठक पर पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 तथा अन्य के लिये 3 भरें।
 आवेदन पत्र में विवरण गलत पाये जाने पर शासनादेश के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

- (क) मैं.....सशपथ घोषित करता/करती हूँ कि सभी सूचनायें सत्य हैं तथा कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। मेरा तथा मेरे परिवार के सभी सदस्यों का भोजन एक रसोई में बनता है तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य का राशन कार्ड कहीं प्रचलित नहीं है और न ही किसी राशन कार्ड में कहीं सम्मिलित हैं।
- (ख) मैंने अपनेश्रेणी के होने के प्रमाण स्वरूप संगत प्रमाण पत्रसंलग्न कर दिया है।

आवेदक/परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

कार्यालय प्रयोग के लिये

- आवेदन-पत्र जाँचकर्ता / कार्ड जारी कर्ता लिपिक के हस्ताक्षर मोहर सहित
8. राशन कार्ड का विवरण
- शॉप रजि. क्रमांक.....
- मुद्रित कार्ड सं.
- यूनिट संख्या जारी करने की तिथि
9. दुकानदार का नाम/पता.....
- दुकान संख्या 10. हस्ताक्षर.....
- जिसे कार्ड सम्बद्ध किया गया राशन कार्ड प्राप्तकर्ता

निरीक्षक के जाँच का प्रतिफल

- (क) आवेदन पत्र में दिया विवरण सही / सही नहीं है।
- (ख) परिवार के सदस्यों की संख्या
- बालिग.....
- नाबालिग.....
- यूनिट.....
- (ग) राशन कार्ड जारी किया जाय.....
- या न किया जाय
- (घ) निरीक्षक के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

प्राप्ति रसीद

आवेदन पत्र संख्या दिनांक..... प्राप्त हुआ। कृपया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए दिनांक..... को काउण्टर पर स्वयं सम्पर्क करें।

हस्ताक्षर लिपिक / मोहर